राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.849 सीसी/स्वा.का.पु./2018/470 दिनांक : 23/2/18

आदेश

राज्य सरकार के चयनित वेतन श्रृंखला आदेश क्रमांक एफ.20(1)वित्त/ग्रुप–2/92 दिनांक 25.1.92 एवं क्रमांक:एफ.20(1)वित्त/ग्रुप–2/92 पार्ट–I दिनांक 21.12.93 की पालना में निम्नलिखित स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष को उनके प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पूर्व में 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतन श्रृंखला उनके पद के पदोन्नति पद के वेतनमान के अनुरूप स्वीकृत की गई थी।

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर द्वारा निम्नलिखित अपीलों में पारित आदेश के द्वारा याचिकर्ताओं को 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर 975–1720, 1200–2050 एवं 1640–2900/5500–9000 दिये जाने के निर्देश प्रदान किये है :–

क.सं.	अपीलार्थी	अपील सं.	आदेश दिनांक
1.	ग्यासी राम	3633/16	13.11.17
2.	मंगलराम शर्मा	3822/16	13.11.17
3.	बने सिंह	3823/16	13.11.17
4.	बोहरी लाल	3824/16	13.11.17
5.	भंवर सिंह	3825/16	13.11.17
6.	लालाराम	3826/16	13.11.17
7.	गिरधारी लाल शर्मा	3863/16	13.11.17
8.	सीताराम शर्मा	3864/16	13.11.17
9.	प्रभातीलाल पारीक	3865/16	13.11.17

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.2017 के विरूद्ध आगे अपील दायर नही करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा अधिकरण के आदेश की पालना की स्वीकृति की अनुपालना में अपीलार्थी को विभिन्न आदेशो के द्वारा पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतन श्रृंखलाओं को अतिक्रमित करते हुए नियमित नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः 1200–2050/4000–6000 एवं 1640–2900/5500–9000 चयनित वेतन श्रृंखला एवं दिनांक 1.1.2006 से नियमानुसार देय एसीपी एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

याचिकाकर्ता को चयनित वेतनमान की स्वीकृति में जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित राजस्थान अधिनस्थ लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि याचिकाकर्ता को चयनित वेतनमान स्वीकृति में यदि कार्मिक को उच्च वेतनमान में समायोजित किया गया है तो अवधि की गणना कार्मिक के समायोजित होने की दिनांक से चयनित वेतनमान नियमों/प्रावधानो के अनुसार सही की गई है तथा वेतन स्थिरीकरण तथा राशि की गणना भी सही की गई है तथा संबंधित कार्मिक को

चयनित वेतनमान एरियर का पूर्व में भुगतान नही किया गया है एवं नियम विरूद्व अधिक भुगतान के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे, की शर्त पर दी जाती है।

यह आदेश राज्य सरकार/वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101800370 दिनांक 30.01.18 एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग की आई.डी. संख्या 136 दिनांक 30.01.1 8 से प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में जारी किये गये है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

PTO ...

क्रमांकःएफ.849 सीसी/स्वा.का.पु./2018/470 दिनांक : 23/2/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. उप शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 101800370 दिनांक 30.01.18 के क्रम में।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 136 दिनांक 30.01.18 के क्रम में।
4. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय को वित्त विभाग के आदेश अनुसार प्रकरण में चयनित वेतनमान स्वीकृति में अवधि, वेतन स्थिरीकरण व राशि की गणना वित्त विभाग के नियमों/प्रावधानों के अनुसार की गई है सुनिश्चित करें।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन भरतपुर/जयपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी भरतपुर/जयपुर-प्रथम को प्रेषित कर निर्देश है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी के प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय ड्यू-ड्रान एवं संशोधित एलपीसी की प्रति कार्मिक एवं प्रभारी अधिकारी केस एवं निदेशालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
8. संबंधित याचिकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, कमारा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

G Order from 28-11-17.doc